

न्यायालय :-वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय – बैहर

S.T.No./21/2017
Filling No. S.T./76/2017
CNR-MP5005-000196-2017
संस्थित दिनांक-14.10.2014

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन ।

// विरुद्ध //

सम्मेलाल पिता जोहर उर्फ मोहर सिंह उम्र 20 वर्ष जाति गोंड
निवासी-ग्राम अडोरी थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त ।

श्री अभिजीत बापट, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन ।
श्री जी.एल. गौतम अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 30 जून 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त सम्मेलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 376, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 09.07.2014 को ग्राम अडोरी अंतर्गत पुलिस चौकी सोनगुड्डा आरक्षी केन्द्र रूपझर से अभियोक्त्री को (जिसका नाम रेसियो **Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684** एवं साक्षी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 3566 तथा **Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.**) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) ग्राम अडोरी जंगल में ले जाया जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

P.T.O.

2. अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 09.07.2014 को रात करीब 8-9 बजे अभियोक्त्री अपने पति व बच्चों के साथ खाना खाकर सो गई थी तभी उसकी फुआ का लड़का सम्मेलाल आया और बोला कि तेरे भाई ने ग्राम अडोरी में बुलाया है, वहाँ ठेकेदार हिसाब करने आया है तो वह उसके साथ मोटरसायकल से अडोरी जाने तैयार हो गई, रास्ते में जंगल में पुलिया के पास आरोपी ने गाड़ी रोका और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जमीन पर पटक दिया और गलत काम किया तथा जान से मारने की धमकी दी। वह अभियुक्त को लात मारकर उससे बचकर जंगल के रास्ते अपने घर आयी एवं घटना अपने पति को बताई एवं दूसरे दिन पुलिस चौकी सोनगुड्डा में शून्य पर अपराध कायम कर असल नम्बरी हेतु आरक्षी केन्द्र रूपधर में अपराध क्रमांक 80/2014 अंतर्गत धारा 376, 506 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। तत्पश्चात् अभियोक्त्री से सहमति प्राप्त कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन अभिलिखित कर किए गए तथा अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए गए एवं आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। सम्यक् विवेचना उपरांत अभियोगपत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया है। उसका यह बचाव है कि वह निर्दोष है उसे मजदूरी के बकाया पैसों के लेनदेन पर से झूठा फंसाया गया है।

4. अवधार्य प्रश्न :-

1. क्या घटना दिनांक 09.07.2014 रात्रि करीब 08:00 बजे

ग्राम मुरम अंतर्गत पुलिस चौकी सोनगुड्डा आरक्षी केन्द्र रूपझर से अभियोक्त्री को ग्राम अडोरी के जंगल में ले जाया जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्संग किया ?

2. क्या उक्त दिनांक को आप आरोपी ने अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :-

5. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने बयान में आरोपी की पहचान संदेह के परे स्थापित किया है। आगे व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके यहाँ आकर ठेकेदार आया है, पैसों का हिसाब करने का कहकर मोटरसायकल से ले गया था, रास्ते में नाले के पास रुककर गिरा दिया, पैर पकड़ लिये और कपड़े उताकर उसके साथ गलत काम किया तब वह अभियुक्त को लात मारकर उससे छूटकर घर वापस आ गई तथा थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

6. बचाव पक्ष द्वारा तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री ने न्यायालयीन बयान में रंजिश के कारण बढ़ा-चढ़ाकर वृत्तांत प्रस्तुत किया है। यह आधार लिया गया है कि उक्त ठेकेदार से मजदूरी के पैसों का विवाद था जिसके कारण रंजिशवश प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। चूंकि आरोपी ठेकेदार के यहाँ सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था।

7. सर्वप्रथम लैंगिक अपराध के संबंध में विक्टिम की हैसियत एवं उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत :-

गुरमीत सिंह अवलोकनीय है जिसमें निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The

nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

"The testimony of victim in cases of sexual offences is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused. Where her testimony inspires confidence and is found to be reliable seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule in such cases amounts to adding insult to injury why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation be viewed with doubt, disbelief or a suspicion. The court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience. Since she is a

witness who is interested in the out come of the charge leveled by her but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of a accused".

8. अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्म संवीक्षा की गई। यद्यपि अभियोक्त्री ने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि आरोपी ने नाले पर उसके साथ उसे गिराकर गलत काम करना शुरू कर दिया था लेकिन अभियोक्त्री ने जिरह के पैरा 5 व 6 में स्पष्ट किया है कि नाले के पास आरोपी ने दोनों हाथों से उसे पीछे से सीने के नीचे पकड़ लिया था तथा उसके द्वारा विरोध करने पर वे दोनों मोटरसायकिल से नीचे गिर गये। पैरा 6 में बताया है कि वह लात मारकर आरोपी के कब्जे से छूटकर भाग आयी थी। अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि आरोपी जब उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तब उसने अपने पहने हुए कपड़े नहीं उतारा था। पैरा 7 में स्पष्ट किया है कि (यह सही है कि अभियुक्त ने उसे पकड़ा था कि बात को मैं गलत काम बोल रही हूँ)। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि लात मारकर छूटकर नहीं भागती तो आरोपी उसके साथ गलत काम कर सकता था। अर्थात् जिरह में घटना दिनांक को आरोपी द्वारा अभियोक्त्री से बलात्कार किए जाने का तथ्य खंडित हो जाता है। अभियोक्त्री ने जिरह में स्पष्ट किया है कि आरोपी ने नाले के पास पीछे से उसका सीना पकड़ लिया था। तत्संबंध में उसने गलत काम का आशय बताया है। अर्थात् अभियोक्त्री ने परीक्षण के भिन्न-भिन्न प्रक्रम पर भिन्न-भिन्न कहानी बताई है। अतः अभियोक्त्री विश्वसनीय साक्षी प्रतीत नहीं होती है।

9. उक्त संबंध में धूरन (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन बयान में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री रात्रि 9 बजे

अपनी बुआ के लड़के आरोपी सम्मेलाल के साथ ठेकेदार के पास हिसाब करने गई थी बाद में रोते हुए आयी और बताया कि आरोपी ने नाले के पास जमीन में पटककर उसके साथ बलात्कार किया तब वह आरोपी के यहाँ शिकायत लेकर गया तो आरोपी नहीं मिला। साक्षी ने गांव में उक्त संबंध में मीटिंग बुलाई थी लेकिन वहाँ आरोपी नहीं आया तब उसने उक्त संबंध में दूसरे दिन रिपोर्ट लेख कराई थी। जिरह के पैरा 5 में स्पष्ट किया है कि उक्त घटना के संबंध में उसकी पत्नि/अभियोक्त्री ने उसे जानकारी दी थी।

10. साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि यदि वह लात मारकर नहीं भागती तो आरोपी उसके साथ बलात्कार कर देता। साक्षी ने जिरह में यह स्पष्ट किया है कि उसने तत्समय अभियोक्त्री के शरीर पर चोट के निशान नहीं देखा था अथवा धूल, मिट्टी लगी देखी थी अर्थात् अभियोक्त्री और उसके पति दोनों के बयान में यह नहीं आया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया था। साक्षी ने जिरह में मजदूरी के बकाया पैसे ठेकेदार से आरोपी द्वारा लेने तथा पीड़ित पक्ष को न देने के संबंध में विवाद होना स्वीकार किया है। (यह सही है कि सम्मेलाल ने भुकुड के नाम का भी पैसा ला लिया था और भुकुड को हैदराबाद में फंसा दिया था) अर्थात् मजदूरी के बकाया पैसे के प्रश्न पर उभयपक्ष के मध्य विवाद होने के तथ्य को स्वीकार किया है।

11. उक्त संबंध में साक्षी बीरबल (अ.सा.-3), नसीब सिंह परते (अ.सा.-4), इन्दल (अ.सा.-5), फूलसिंह (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन बयान में अभियोक्त्री के कथन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने उक्त साक्षियों को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा

154 के अंतर्गत परीक्षण किया है। हंसराम (अ.सा.-2) ने व्यक्त किया है कि उसे अभियोक्त्री ने आरोपी द्वारा कारित घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। अभियोजन ने उक्त साक्षी को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया है लेकिन इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्र.पी. 2 के सारवान भाग को अस्वीकार (Disown) किया है।

12. हंसराम (अ.सा.-2) ने जिरह में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने ठेकेदार से 30,000/-रुपए ले लिये थे तथा उसके एवज में अभियोक्त्री के भाई को ठेकेदार ने पकड़ लिया था। (यह सही है कि इसी बात को लेकर पीड़िता/अभियोक्त्री के पति ने गांव में मीटिंग कराया था एवं इसी बात को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद था)।

13. प्रतिकूल घोषित साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा हेतु **रमेश मिश्रा किमिनल अपील** में पारित मत अवलोकनीय है, जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल घोषित साक्षियों के बयान के उतने भाग का जितने भाग से अभियोजन मामले का समर्थन होता हो, अभियोजन के पक्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। उक्त संबंध में **न्यायदृष्टांत :- " उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश मिश्रा " किमिनल अपील क्रमांक 884 वर्ष 1996 निर्णय दिनांक 13.08.1996 "** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness would not be toally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subject to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the

prosecution or defence may be accepted.

14. डॉ. राखी श्रीवास्तव (अ.सा.-17) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 10.07.2014 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ रहते हुए महिला पुलिस द्वारा अभियोक्त्री उम्र 36 वर्ष को लाये जाने पर उसका परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित थे, हाईमन झिल्ली फटी थी, अंतिम माहवारी दो दिन पूर्व आयी थी, अभियोक्त्री के साथ तीन बच्चे भी थे, अभियोक्त्री के प्राईवेट भाग का परीक्षण करने पर उसकी वैजाईना में दो उंगलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी, वैजाईनल स्लाइड प्रिजर्व कर, सीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौंप दी थी, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 8 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी जिरह में स्थिर है।

15. डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.-11) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 11.07.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए आरोपी सम्मेलाल का परीक्षण किए जाने पर उसके द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित पाए थे तथा आरोपी को संभोग करने में सक्षम पाया था, दो सीमेन स्लाइड प्रिजर्व कर सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था तथा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 10 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी जिरह में स्थिर है। उक्त मेडिकल साक्षियों के उक्त फार्मल बयान के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

16. उत्तरा नागेश्वर (अ.सा.-10) ए.एन.एम. ने व्यक्त किया है कि सोनगुड्डा चौकी में महिला आरक्षक नहीं थी। स्थानीय पुलिस के निर्देश पर थाना गई थी तथा पीड़िता के बताएनुसार घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 9 तथा बयान अभिलिखित किए थे। लेकिन साक्षी ने जिरह में

स्पष्ट किया है कि पीड़िता ने उक्त समय उसे मात्र यह बताया था कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट किया था।

17. महिला आरक्षक सुरेखा मरकाम (अ.सा.-13) ने व्यक्त किया है कि थाना मलाजखण्ड के अपराध क्रमांक 80/2014 के तहत अभियोक्त्री के कथन अभिलिखित किए थे तथा मुलाहिजा हेतु फार्म प्र.पी. 13 भरकर अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया था।

18. महिला आरक्षक श्रीमती राधा बघेल (अ.सा.-9) ने व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण हेतु बालाघाट लाए जाने पर उसे जिला चिकित्सालय बालाघाट ले जाया जाकर मेडिकल परीक्षण कराया था तथा अभियोक्त्री की वैजाईनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर सीलबंद अवस्था में प्राप्त कर थाना रूपझर को सौंप दिया था।

19. आरक्षक विश्राम धुर्वे (अ.सा.-12) ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त की सिमेन स्लाइड अस्पताल से लाकर पुलिस चौकी सोनगुड्डा में लाकर पेश किए जाने पर जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 12 निर्मित किया जाना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक कालीचरण पटले (अ.सा.-14) ने जप्ती पत्र प्र.पी. 6 एवं प्र.पी. 14 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक धनेन्द्र कलिहारी (अ.सा.-15) ने भी जप्ती पत्र प्र.पी. 6, प्र.पी. 12, प्र.पी. 14 एवं प्र.पी. 15 पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

20. निरीक्षक आशीष राजपूत (अ.सा.-16) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 10.07.2014 को पीड़िता के उपस्थित होना पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनगुड्डा की ए.एन.एम. उत्तरा के समक्ष पूछताछ कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना प्र.पी.9 लेखबद्ध किया जाना तथा

आरक्षी केन्द्र भेजकर असल प्रथम सूचना क्रमांक 80/2014 पर पंजीबद्ध करवाना, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाना, घटनास्थल का मौकानक्शा निर्मित किया जाना, पटवारी से नजरीनक्शा निर्मित करवाकर प्राप्त किया जाना, अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन अभिलिखित करवाना, साक्षीगण के कथन अभिलिखित करना, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 3 निर्मित किया जाना, प्र.पी. 19 की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया जाना, आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जाना, आरोपी से मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 2 निर्मित किया जाना, आरोपी का आधार कार्ड, चेकबुक, पर्स, बैंक संबंधी दस्तावेज पेश किए जाने पर जप्ती पत्र प्र.पी. 6 द्वारा जप्त किया जाना व्यक्त किया है तथा अभियोक्त्री के वैजाइनल स्लाइड, आरोपी की सिमेन स्लाइड एवं प्यूबिक हेयर को पुलिस अधीक्षक बालाघाट के ड्राफ्ट के माध्यम से एफ.एस.एल. सागर प्रेषित किया जाना तथा रिपोर्ट प्र.पी. 28 प्राप्त किया जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण ने विवेचना को फार्मल रूप से प्रमाणित किया है लेकिन उक्त साक्षियों के कथन के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

21. अर्थात् उत्तरा नागेश्वर के बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने प्रथम शिकायत लेख कराते समय उसे मात्र यह बताया था कि आरोपी ने उसके साथ केवल मारपीट किया था अर्थात् उत्तरा नागेश्वर के बयान को देखा जाए तो प्रस्तुत मामले की अभियोक्त्री विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं आती है अथवा अभियोक्त्री ने परीक्षण के भिन्न-भिन्न प्रक्रम पर भिन्न-भिन्न कहानी बताई है। अतः अभियोक्त्री विश्वसनीय साक्षी प्रतीत नहीं होती है तथा मजदूरी के बकाया पैसे के

लेनदेन पर से प्रस्तुत मामले में आरोपी को झूठा संलिप्त किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

22. उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अंतर्गत अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। फलस्वरूप आरोपी सम्मेलाल पिता जोहर उर्फ मोहरसिंह गोंड को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 506 भाग-दो के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

23. आरोपी सम्मेलाल के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

24. मामले में जप्तशुदा संपत्ति मोटरसायकिल टी.वी.एस. क्रमांक एम.पी. 51 एम.बी. 1291 आवेदक/सुपुर्ददार अब्दुल नफीम खान पिता अब्दुल मजीद खान को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे तथा सम्पत्ति पर्चा क्रमांक 438/14 में जप्त संपत्ति एक बटुआ (पर्स) जिसमें आधार कार्ड, चेक एवं बैंक दस्तावेज हैं उसे उसके स्वामी को वापस लौटाया जावे एवं स्लाईड अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

मेरे डिक्टेसन पर मुद्रित।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक :- 30 जून 2018

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर